

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 17 (55) लेखा/जलेस/सा/प्रमुवसं/12-13/7690

दिनांक 02/01/2018

बैठक सूचना

जन लेखा समिति, वर्ष 2017-18 ने विनियोग एवं वित्त लेखे तथा इन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों एवं समिति के प्रतिवेदनों की समीक्षा हेतु शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2018 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे से समिति कक्ष संख्या-352 में साक्ष्य लेने का निर्णय लिया है। साक्ष्य लेने की दिनांक 19.01.2018 से 10 दिवस पूर्व अनुच्छेदों के सैट तैयार कर जन लेखा समिति को भिजवाये जाने हैं। अतः इस क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 05.01.2018 को 3:00 P.M. बजे कमरा नम्बर A-101 में समीक्षा बैठक ली जावेगी। सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि संबंधित सभी पैराज की पूर्ण तैयारी कर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें। बैठक में निम्नांकित अधिकारियों की उपस्थिति वांछनीय है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव)
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन)
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)
5. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ.सी.ए.)
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-संरक्षण)
7. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (M. & E.) नोडल अधिकारी, जन लेखा समिति, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विभागीय कार्य)
9. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग
10. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

38

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(HOFF)

राजस्थान जयपुर

दिनांक 2.1.18

क्रमांक एफ 17 (55) लेखा/जलेस/सा/प्रमुवसं/12-13/7691-701

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/प्रशासन/भू-संरक्षण,/एफ.सी.ए./विकास/विभागीय कार्य, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (M. & E.) नोडल अधिकारी, जन लेखा समिति, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान जयपुर